न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 86/2016

1–बद्रीराम पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी तिपनी तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–राज्य सरकार जरिये हल्का पटवारी ढिंगसरी तहसील लाडनूं जिला नागौर ।

2–नायब तहसीलदार, निम्बी जोधा तहसील लाडनूं

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री मौ0 इकबाल, सैयद,श्री अल्ताफ हुसैन, श्री गनी मोहम्मद शेरानी अपीलान्ट की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार, निम्बी जोधा तहसील लाडनूं धारा 91 एल आर एक्ट मु0नं0 108/15 बअनुवान राज्य सरकार जरिये हलका पटवारी ढिंगसरी बनाम बद्रीराम में दिनांक 30.09.2016 को अतिक्रमी घोषित करके बेदखल करने का आदेश पारित किया

निर्णय

दिनांक– 22.02.2017

{1} – यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार निम्बी जोधा के प्रकरण संख्या 108/15 बअनुवान सरकार बनाम बद्रीराम में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2016 के विरूद्ध पेश किया है। मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ढिंगसरी ने गैरसायल के विरूद्ध रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि गैरसायल बद्रीराम पुत्र छोगाराम जाति निवासी तिपनी ने मौजा तिपनी 202 रकबा 1.05 बीस्वा गै0मु0 रास्ता पर नाजायज अतिक्रमण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

कर दीवार का निर्माण किया है। जिस पर नायब तहसीलदार निम्बी जोधा ने प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया

गैरसायल मय अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा ने उपस्थित होकर अपने सबूत में जवाब पेश किया । गैरसायल ने अपने जवाब में जाहिर किया कि मेरे विरूद्ध अतिक्रमण कर दीवार बनाकर कब्जा करने की झूठी एवं गलत तथ्यों पर 91 आर.एल आर.एक्ट की कार्यवाही की गई हैं तथाकथित अतिक्रमण को लेकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनूं के न्यायालय में धारा 133 सी.आर.पी.सी की कार्यवाही विचाराधीन है जिसके मु0 नं0 446/2013 है जिसमें अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब एवं साक्षी का शपथ पत्र पेश कये है, इसलिए धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट का नोटिस दिया जाना अवैध एवं विधि द्वारा बाधित हैं दोनो कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती है अतः प्रकरण ड्रोप फरमाया जावे। एवं यह भी जाहिर किया कि एक वाद बाबत रेकर्ड दुरूस्ती घोषणा खातेदारी वं विभाजन स्थायी निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर महोदय लाडनूं में पेश किया है। इसके अतिरिक्त गैरसायल द्वारा अपने साक्ष्य सबूत में कोई दस्तावेज पेश नही किये है।

उभय पक्षों की बहस अन्तिम सुनने के पश्चात योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को खसरा नम्बर 202 गै0 मु0 रास्ता रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा पर बद्रीराम पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी तिपनी का नाजायज अतिक्रमण होने से इन्हीं अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसे बेदखल किये जाने व लगान दर 0.75 का पचास गुणा 2/–रूपये का जुर्माना कायम किया गया अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधिनस्थ न्यायालय की आदेश की प्रमाणित प्रति नक्शे की फोटो पति खसरा मिला की फोटो प्रति, दावा की फोटो प्रति पेश की हैं।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 16.12.16 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 16.12.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

10.05.2017 को पेश कर जाहीर किया कि अपीलान्ट के खेत ख0 नं0 201 व 200 का मुस्तकिल बिन्दु से नाप करवाकर दोनो खेतो की दक्षिणी सींव का नाप सहित टीम गठत कर मौका रिपोर्ट मय नक्शा मंगवाने का निवेदन किया गया । इस पर उप तहसीलदार निम्बी जोधा को विवादीत खसरो कमश : 202, 201 के नाप हेतु कमेटी गठीत कर नाप कराने हेतु इस न्यायालय द्वारा लिखा गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र कमांकः राजस्व/17/282 दिनांक 14.7.2017 के संलग्न रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार मौके पर फसल खड़ी होने से जरीब चलाना एवं माप किया जाना सम्भव नहीं है। इस अपीलान्ट ने पुनः मुस्तकिल बिन्दु से माप करवाने का निवेदन करने पर पुनः उप तहसीलदार निम्बी जोधा को नाप के लिए तलबी जारी की गयी। दिनांक को 15.2.21 उप तहसीलदार निम्बी जोधा से फर्द सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो दिनांक 17.2.21 शामील पत्रावली की गयी।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवंम वास्क्याती भूल की है। अतः आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने उपस्थित होकर न्यायालय को यह अवगत करवाया कि उक्त तथाकथित अतिक्रमण को लेकर धारा 133 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही जैर विचारण है, जिसके मुकदमा नम्बर 446/2013 है। जिसमें अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपना जवाब एवम साक्ष्य का शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः उक्त 133 सी.आ.पी.सी. की कार्यवाही के चलते धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा ना ही दोनों कार्यवाहीयां एक साथ चल सकती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के उक्त महत्वपूर्ण सुस्थापित सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2}(3) – अपीलान्ट ने यह भी बताया कि पटवारी हल्का ढिगसरी ने पूर्ण रूप से झुठी रिपोर्ट एवम नक्शा बनाकर पेश किया ळैं वस्तुस्थिति को दर्शित करते हुए नक्शा अपील के साथ पेश है। अपीलान्ट ने कभी भी कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 202 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है तथा उक्त भूमि भी मौके पर काफी कम है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 201 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा के साबिक खसरा नम्बर 146 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा थे। जिसकी खातेदारी अपीलान्ट के पिता छोगा नोला बेटा बेंजा के नाम से व कब्जे काश्त में दर्ज रहीं सेटलमेन्ट के समय उक्त साबिक खसरा नम्बर 146 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा के नए खसरा नम्बर 200 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा नोलाराम व खसरा नम्बर 201 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा छोगाराम के नाम दर्ज हुए। उक्त दोनों नए खसरा का कुल रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा हुआ। इस प्रकार अप्रार्थी पक्ष का मूल साबिक खसरा में से नए खसरा बनने पर 16 बिस्वा भूमि राजस्व अधिकारियों ने कम कर दी तथा उक्त 16 बिस्वा भूमि कम करके कटाण खसरा नम्बर 202 एवम खसरा नम्बर 122/126 व 121 में मिला दी। अपीलान्ट के खसरा नम्बर 201 के पूर्वी दिशा की सींव के साथ साथ वर्तमान में कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 202 आया हुआ हैं तथा उक्त कटाणी रास्ते के पूर्व में खसरा नपम्बर 122/126 व 121 बजरंगदास पुत्र चैनदास वगैराह की खातेदारी का खेत अवस्थित है। अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में से 16 बिस्वा भूमि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो की गलती के कारण कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 202,122/126,121 में चली गई। उक्त 16 बिस्वा भूमि की खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती का दावा सहायक कलक्टर, लाडनूं में विचाराधीन है।

{2}(6) – यह है कि कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 202 कभी भी अपीलान्ट के साबिक खसरा नम्बर 146 रकबा 05 बीघा 02 अथवा सेटलमेन्ट के पश्चात उक्त साबिक खसरा नम्बर के नए खसरा 201 व 200 की भूमि में से होकर कभी नही रहा ना ही वर्तमान में है। अपीलान्ट की भूमि 16 बिस्वा राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण कटाणी रास्ते व खसरा नम्बर 122/126 व खसरा नम्बर 121 में बिना किसी अधिकारिता के डाल देने से खसरा नम्बर 122/126 व 121 के खातेदार बजरंगदास

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

वगैराह ने तो अतिक्रमण करते हुए दिवार बर्ना एवम उसके पश्चात मकान बनाकर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है। इससे पूर्व भी कटाणी रास्ते खसरा नम्बर 202 पर सन् 1976 में बजरंगदास पुत्र श्री चेनदास द्वारा अतिक्रमण किया गया था। जिसके संबंध में मु0नं0 1/1976 को उक्त बजरंगदास को कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 202 पर किये गये अतिक्रमण से बेदखल कर निर्माण हटाने व जुर्माना वसूलने का आदेश पारित किये थे। इसके बावजूद भी उक्त बजरंगदास व अन्य खातेदारान द्वारा समय समय पर कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 202 पर अतिक्रमण करते हुए अपनी भूमि में मिला लिया और प्रार्थी अपीलान्ट की भूमि पर भी अतिक्रमण कर अपनी भूमि में मिला तथा कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 202 को अपीलान्ट की भूमि में खिसका दिया । जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील स्वीकार योग्य है। आगे बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि नायब तहसीलदार द्वारा गठित टीम द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 10.2.2021 में नपती सही नहीं हुई है तथा मौका एवं रिकार्ड में भिन्नता है जिससे भी स्पष्ट है कि गै0मु0 रास्ते की भूमि पर हमारा कोई कब्जा नहीं है।

{2}(7) – यह है कि अपीलान्ट का कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 202 के किसी भी भग पर कभी कोई अतिक्रमण नही रहा। चैनदास द्वारा रास्ते की भूमि व प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते को प्रार्थी के खत खसरा नम्बर 201 में खिसका दिया।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। आदेशिका दिनांक 2.1.2017 द्वारा नायब तहसीलदार निम्बी जोधा को विवादित ख0नं0 202,व 201 साबिक ख0नं0 146 का नाप कमेटी गठित करवाने हेतु आदेशित किया गया था। उप तहसीलदार निम्बी जौधा,तहसील लाडनूं ने टीम गठित की जिसमें पटवारी हल्का भरनावा, सींवा, ढिंगसरी व पटवारी मालगांव द्वारा दिनांक 10.02.2021 को खसरा संख्या 200 व 201 का दक्षिणी सीमा का नाप किया गया। नायब तहसीलदार निम्बी जोधा ने ख0नं0 200 व 201 की दक्षिणी सींव का नाप टीम गठित कर टीम द्वारा तैयार फर्द सीमाकंन रिपोर्ट उनके पत्रांक 22 दिनांक 12.2.2021 द्वारा प्रेषित की गयीं जो शामिल पत्रावली पर उपलब्ध

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

है। तैयार फर्द सीमाज्ञान दिनांक 10.02.2021 अनुसार मौके पर प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये मोमिया ट्रेस नक्शा जारी सदर कानूनगो नागौर कलक्ट्रेट नागौर दिनांक 18.03.2013 सवंत 2009 व सन् 1960–61 अनुसार रेकार्ड का मिलान किया गया। जारी किये गये दोनों नक्शा को सेट आडट करते है तो भी उनमें भिन्नता है। एवं खसरा संख्या 200 व 201 की दक्षिणी सीमा की दूरी दोनों में ही एक समान (5+42) गठ्ठा लिखी हुई है। मौके पर माप करने पर मौके की दूरी 44 गठ्ठा पाई गई। स्कैल लगाकर सन् 1960–1961 के नक्शे के अनुसार 45 गठ्ठा है। मौके व रेकार्ड के अनुसार एक(1) गठ्ठा की भिन्नता है। सामने खसरा संख्या 129 व 120 की तरफ खसरा संख्या 120 की पूर्वी सीमा पर स्थित सीमा चिन्ह संख्या 27 रेकार्ड में दर्ज है। परन्तु मौके पर सीमा चिन्ह उपलब्ध नहीं मिला । मौजूदा सीमा से जरीब चलाई गई। जिसमें भी रेकार्ड व मौके में भिन्नता पाई गई।

इस प्रकार दिनांक 10.2.2021 को तैयार की गयी फर्द सीमाकंन के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है कि अपीलान्ट ने ख0नं0 202 गै0मु0 रास्ता पर अतिक्रमण कर रखा है या नहीं? यदि कोई अतिक्रमण अपीलान्ट द्वारा किया भी गया है तो कितने रकबे पर किया गया है यह स्पष्ट नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र0सं0 86/2016 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2016 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:::: आ दे श ::::

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 86/2016 अन्तर्गत राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2016 के विरूद्ध अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड की जाती हैं कि ग्राम तिपनी के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 202 करबा 2.02 बीघा की सही सही राजस्व रिकार्ड अनुसार नाप करवाकर अतिक्रमण पाए जाने पर अपीलान्ट को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.03.21 को पेश हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक. 22.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)